वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(302)/2015-PD दिनांक/Dated: 11.07.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तिथि – स्पष्टीकरण - के संबंध में।

Sub : Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – Clarification – reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 04-21/2017-आईसी/ई.III(ए) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है I

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 04-21/2017-IC/E.III.A dated 04.07.2023 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by ARUN MANIKANDA BHARATHI M

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 04-21/2017-आईसी/ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

(ई.III-ए अनुभाग)

*****

नई दिल्ली, दिनांकः 04.07.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तिथि-स्पष्टीकरण- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28.11.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा '7' में ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें 01.01.2016 को या उसके बाद नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है या वित्तीय उन्नयन दिया गया है तथा जो एफआर 22(I)(क)(1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुनः प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर वेतन-निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग या पुनः प्रयोग का अवसर दिया गया था।

2. इसके बाद, दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत यथा अनुमत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए दिनांक 15.04.2021 के समसंख्यक का.ज्ञा. के द्वारा एक और अवसर 3 माह की अवधि के लिए प्रदान किया गया था।

3. तथापि, दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत यथा अनुमत वेतन निर्धारण का विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए एक और अवसर की अनुमति दिए जाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अभी भी कई प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

4. अतः, सक्षम प्राधिकारी ने, दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा '7' में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत यथा अनुमत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से तीन माह के अंदर एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दिए जाने का अनुमोदन किया है। **किसी भी परिस्थिति में विकल्प के प्रयोग में तिथि के विस्तार या शर्त में छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालयों/विभागों को इस कार्यालय ज्ञापन के व्यापक रूप से प्रचार करने की सलाह दी जाती है।**

5. दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उमेश
4/7/23

1/2

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

4/7/23

(उमेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग। इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. की विषय-वस्तु को सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।

2. मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।

3. प्रभारी, प्राप्ति एवं प्रेषण, सभी मंत्रालयों/विभागों में इसके परिचालन के लिए।

No. 04-21/2017-IC/E.III.A
भारत सरकार/Government of India
वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance
व्यय विभाग/Department of Expenditure
(E.III.A Branch)
*****

New Delhi, Date: 04.07.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – Clarification – regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. of even No. dated 28.11.2019 on the subject noted above. In Para '7' of the said O.M. dated 28.11.2019, the employees who have been regularly promoted or granted financial up-gradation on or after 01.01.2016 and desire to exercise/re-exercise option for pay fixation under FR 22(I)(a)(1), were given an opportunity to exercise or re-exercise of their option for pay fixation within one month of the date of issue of the said O.M. dated 28.11.2019.

2. Thereafter, another opportunity to exercise/re-exercise the option for pay fixation, as allowed under O.M. dated 28.11.2019, was provided for a period of 3 months vide O.M. of even No. dated 15.04.2021.

3. However, a number of proposals are still being received from various Ministries/Departments for allowing another opportunity to exercise/re-exercise the option for fixation of pay as allowed under O.M. dated 28.11.2019.

4. Therefore, the Competent Authority in partial modification of the conditions enumerated in para '7' of the said O.M. dated 28.11.2019, has further approved for allowing another opportunity to Government employees to exercise/re-exercise option for pay fixation as allowed under O.M. dated 28.11.2019 within a period of three months from the date of issue of this Office Memorandum. **No further request for extension of date or relaxation of condition in exercising of option will be entertained under any circumstances. Ministries/Departments are advised to give wide publicity of this O.M..**

5. All other conditions of O.M. dated 28.11.2019 remain unchanged.

4/7/23

6. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India".

7. Hindi Version of these orders is attached.

4/7/23

(Umesh Kumar Agarwal)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

1. All Ministries/Departments as per standard list. With the request to bring the content of this O.M. to the notice of all employees concerned.
2. C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.
3. In-charge, R&I, for it's circulation among all Ministries/Departments.